न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 16/2018 (अपील जीसीएमएस नम्बर 2018/00379)

1. सुखदेव पुत्र श्री नाथूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1- सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—रेस्पॉडेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1965 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.12.2017 बअदालत अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा अपील प्रकरण संख्या 08/2017 बउनवानी सुखदेव बनाम सरकार में पारित किया गया जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 552 दिनांक 15.01.2013 को यथावत रखा गया।

उपस्थित—

1. श्री रामधन चौधरी, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1की ओर से

निर्णय

दिनांक —23.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 14.12.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 15.01.2013 जिससे नामान्तरकरण संख्या 552 ग्राम जयचंदपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा का नामान्तकरण बाबत भूमि की किस्म चारागाह से आबादी मे परिवर्तित करने का निरस्त किया गया से असंतु ट होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर के यहां अपील की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 द्वारा अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 14.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुखदेव पुत्र नाथूराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 प्रकरण संख्या 08/2017 बउनवानी सुखदेव बनाम सरकार एवं नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 15.01.2013 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्याायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज रही है और उक्त आराजीयात प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के तहत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा अभियान के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दौरान ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा के प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 09.12.2010 के अनुसार खसरा नम्बर 262 रकबा 10 दिनांक 09.12.2010 के अनुसार खसरा नम्बर 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में 3 बीघा भूमि का आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित करने का प्रस्ताव तहसीलदार जी जमवारामगढ द्वारा किये जाने पर दिनांक 31.12.2010 को खसरा नम्बर 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि आबादी हेतु पृथक से सेट अपार्ट की गई। उक्त सेट अपार्ट की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी को दी गई और उसी अनुपालना में उक्त भूमि आबादी में सेट अपार्ट की गई। उपखण्ड अधिकारी की आज्ञा दिनांक 31.12.2010 बाबत आबादी हेतु सेट अपार्ट को कभी चुनौती नहीं दी गई है और उक्त आज्ञा का अमल राजस्व रिकार्ड में होना आवश्यक था। लेकिन नायब तहसीलदार जी ने जिनको की सेट अपार्ट की आज्ञा को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था महज गिरदावर की रिपोर्ट पर कि उक्त भूमि नाले के पास है और 1 बीघा भूमि ही किस्म परिवर्तन किये जाने योग्य है। उक्त गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर जो नामान्तरकरण संख्या 552 बाबत चारागाह से आबादी में परिवर्तित करने का निरस्त किया है वह नायब तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और सारी कार्यवाही गलत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बिना मौके की स्थिति का अवलोकन व विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 पारित कर अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा दिनांक 31.12.2010 बाबत आबादी हेतु सेट–अपार्ट को कभी चुनौती नहीं दी गई। लेकिन नायब तहसीलदार जमवारामगढ ने महज गिरदावर की रिपोर्ट पर कि उक्त भूमि नाले के पास है और एक बीघा भूमि ही किस्म परिवर्तन किये जाने योग्य है, जिसे भी बहाल नहीं रखा, नामान्तरकरण संख्या 552 बाबत भूमि की किस्म परिवर्तन दिनांक 15.01.2013 को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निरस्त कर दिया। अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 262 की 3 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तित होने के पश्चात ग्राम पंचायत जयचन्दपुरा द्वारा दिनांक 20.02.2014 को आवासीय पट्टा भी दिया गया। लेकिन अपीलान्ट को पटवारी हल्का से उक्त भूमि की किस्म का राजस्व रिकॉर्ड में आबादी न होने का पता चला और पटवारी हल्का ने विवादग्रस्त भूमि की किस्म चारागाह होने से भूमि पर कोई निर्माण नहीं करने की धमकी भी दी गई। नायब तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2013 में महज गिरदावर रिपोर्ट को आधार मानते हुये अपीलान्ट का नामान्तरकरण खारिज करने का जो आदेश पारित किया है खसरा नम्बर 262 में से 1 बीघा भूमि को नाले से दूर बताते हुये आबादी योग्य माना है। उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण रकबा 3 बीघा को ही चारागाह मानते हुये जो निर्णय पारित किया है वह सरासर गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि में नाले का खसरा नम्बर 420 नक्शे में अलग दर्ज है, अपीलान्ट के खसरा नम्बर 262 से कोई वास्ता ही नहीं है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये केवल नायब तहसीलदार के आदेश को ही आधार मानते हुये आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के अलावा अन्या लोगों को भी चारागाह से आबादी में भूमि परिवर्तन हुई जिसके नामान्तरकरण संख्या 91, 92, 93, 536 खुल हैं, और आज भी वह लोग उक्त भूमि पर आवासीय मकान व बाडे बना रखे हैं, और उनके नामान्तरकरण बदस्तुर है। महज गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार जमवारामगढ ने अपीलान्ट से रंजिश रखने की वजह से उसका नामान्तरकरण खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई। जबकि उक्त आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। इसलिये भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 प्रकरण

माननीय आयुक्त
जयपुर

संख्या 08 / 2017 बउनवानी सुखदेव बनाम सरकार एवं नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 15.01.2013 को निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज पेश नहीं किया। जिससे यह स्पष्ट हो कि वादग्रस्त भूमि बहाव क्षेत्र या गै.मु. नाले के पास स्थित नहीं है एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट जिसके आधार पर नायब तहसीलदार, जमवारामगढ जिला अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया गया हो विधिसम्मत नहीं हो। इसलिए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 552 ग्राम जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश दिनांक 31.12.2010 व तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 07.02.2011 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच गिरदावर हल्का को भेजा गया। गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2013 अनुसार वादग्रस्त भूमि गै0मु0 नाले के पास स्थित होने से ख0नं0 262 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में 1 बीघा भूमि की किस्म ही गै.मु. चारागाह से आबादी किये जाने योग्य बताया गया जिस पर नायब तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा वादग्रस्त भूमि बहाव क्षेत्र में होने से भूमि की किस्म चारागाह से आबादी हेतु सेट अपार्ट किये जाने योग्य नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 552 दिनांक 15.01.2013 को निरस्त किया गया। जो विधिसम्मत है। विद्वान अपीलान्ट ने ऐसा कोई ठोस, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि वादग्रस्त भूमि बहाव क्षेत्र या गै0मु0 नाले के पास स्थित नहीं है एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया गया हो विधिसम्मत नहीं हो। इसलिए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 प्रकरण संख्या 08 / 2017 बउनवानी सुखदेव बनाम सरकार एवं नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 15.01.2013 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 प्रकरण संख्या 08 / 2017 बउनवानी सुखदेव बनाम सरकार एवं नामान्तकरण संख्या 552 दिनांक 15.01.2013 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषि मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर